~~Amend~~ Original Notification KCal

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2009/आषाढ़ 16, 1931
No. 113] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2009/ASADHA 16, 1931

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2009

सं. 2/11(5)/03-बी.ई.ई.-2.— ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 नामक प्रारूप विनियमों को, भारत के राजपत्र असाधारण भाग III, खण्ड 4, तारीख 12 जनवरी, 2009 में अधिसूचना सं0 2/11(5)/03–बीईई–2 तारीख 12 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैतालीस दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त प्रारूप विनियमों की प्रतियां जनता को 12 जनवरी, 2009 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप विनियमों के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

और इस सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों पर विचार कर लिया गया है।

अतः अब ब्यूरो, उक्त अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के साथ पठित, धारा 58 की उपधारा

(2) के खण्ड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.– (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 अभिप्रेत है।

(ख) "लेबल" से कोई लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुद्रांकित या चित्रित विषय अभिप्रेत है जो वातानुकूलक पर चिपकाया गया है या प्रकट है;

(ग) "मॉडल" किसी विशेष ब्रान्ड की मॉडल श्रृंखला, जिस पर एक ही परीक्षण रिपोर्ट लागू होती है और जहां पर प्रत्येक मॉडल की भौतिक विशेषतांए, तुलनात्मक ऊर्जा खपत, ऊर्जा दक्षता रेटिंग तथा निष्पादन अभिलक्षण एक ही होते हैं और उसमें "मॉडल परिवार" सम्मिलित है, अभिप्रेत है;

(घ) "कक्ष वातानुकूलक" से 10,465 वाट्स या नौ हजार किलो कैलोरी/घंटे की रेटिड प्रशीतन क्षमता तक घरेलू उपयोग के लिए वाष्प संपीडन का वातानुकूलक अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत भारतीय मानक 1391 (भाग–1) : 1992, और भारतीय मानक 1391 (भाग–2) : 1992 के क्षेत्र के भीतर आने वाले एक सिंगल फेज स्पिल्ट और यूनिटरी वातानुकूलक भी होंगे किन्तु, जिसके अंतर्गत ऐसे अन्य कक्ष वातानुकूलक नहीं होंगे जो भारतीय मानक 1391 (भाग–1) : 1992, और भारतीय मानक 1391 (भाग–2) : 1992 के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, समुचित परीक्षण प्रणाली के विकास के लिए लंबित हैं या जिनमें एक से अधिक अंतरण यूनिट वाले मल्टी स्पिल्ट प्रणाली है और प्रत्येक अंतरण यूनिट के लिए स्वतंत्र नियंत्रण है या वाष्पशील प्रशीतक है या कोई अन्य प्रशीतन प्रणाली है जो वाष्प संपीड़न प्रकार की नहीं हैं;

(ङ) "सितारा रेटिंग या सितारा स्तर" से कक्ष वातानुकूलक की ऊर्जा दक्षता को अंकित करने के लिए ऊर्जा खपत पर आधारित कक्ष वातानुकूलक के लेबल पर संप्रदर्शित ऊर्जा दक्षता की श्रेणी अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ है जो अधिनियम में हैं।

3. **लेबल पर प्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियां** – (1) प्रत्येक कक्ष वातानुकूलक लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियां प्रदर्शित की जाएगी, अर्थात्–

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का लोगो;

(ख) वातानुकूलक का प्रकार;

(ग) विनिर्माता या आयातकर्ता का नाम और ब्रांड

(घ) मॉडल तथा विनिर्माण या आयात का वर्ष;

(ङ) प्राधिकार संख्या;

(च) प्रशीतन क्षमता वॉट्स में;

(छ) विद्युत खपत वॉट्स में

(ज) वातानुकूलक का सितारा स्तर;

(झ) परिवर्तनीय गति संपीड़क (हां/नहीं);

(ञ) ऊष्मा पंप (हां/नहीं)

(ट) ऊर्जा दक्षता अनुपात अर्थात प्रशीतन क्षमता वॉटस में/विद्युत खपत वाट्स में

(2) डिजाइन, रंग, आकार और लेबल की अंतर्वस्तु वह होगी जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

4. **लेबलों को प्रदर्शित करने की समय–सीमा** – विनियम 3 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों वाले लेबल को इन विनियमों के प्रवर्तन में आने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, प्रत्येक कक्ष वातानुकूलक पर प्रदर्शित किया जाएगा।

5. लेबल के संप्रदर्शन की रीति –(1) प्रत्येक कक्ष वातानुकूलक के लेबल पर पैमाना बिन्दु पर विक्रय के समय संप्रदर्शित किया जाएगा और ऐसा लेबल उस पर संप्रदर्श फ्रंट पर लटकते हुए टैग के रूप में चिपकाया या संलग्न किया जाएगा।

(2) जो यूनिटें संप्रदर्शन नहीं कर रही हैं, वहां लेबल मंजूषा के बाहरी भाग पर संलग्न किया जा सकेगा और यूनिट में तभी लेबल संलग्न किया जा सकेगा जब उसकी पैकिंग से यूनिट हटा दी गई हो या लेबल को उपभोक्ता या उपभोक्ता को दिए गए दस्तावेजों के भाग के रूप में सम्मिलित किया गया हो।

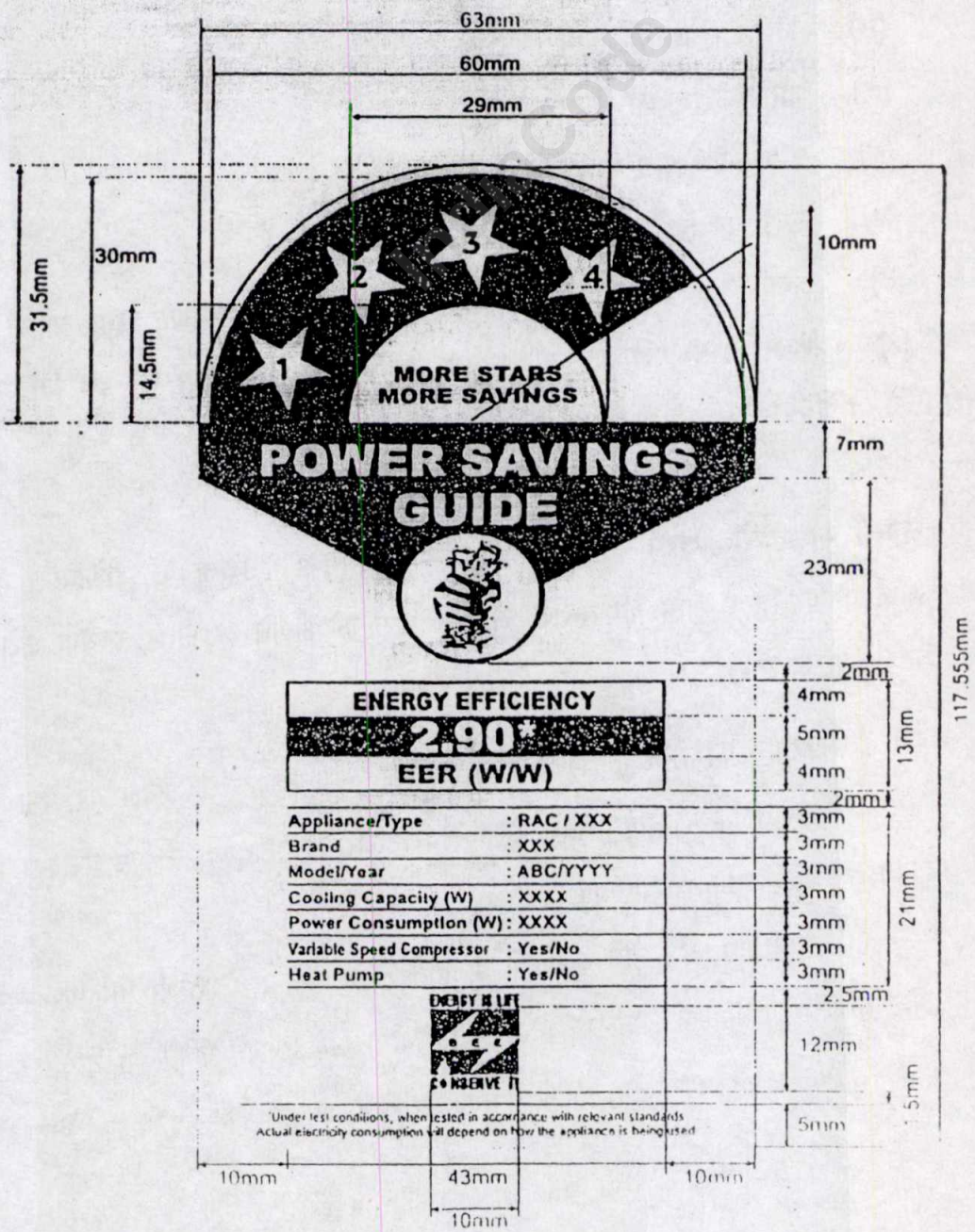
अनुसूची

[(विनियम 3(2) देखें]

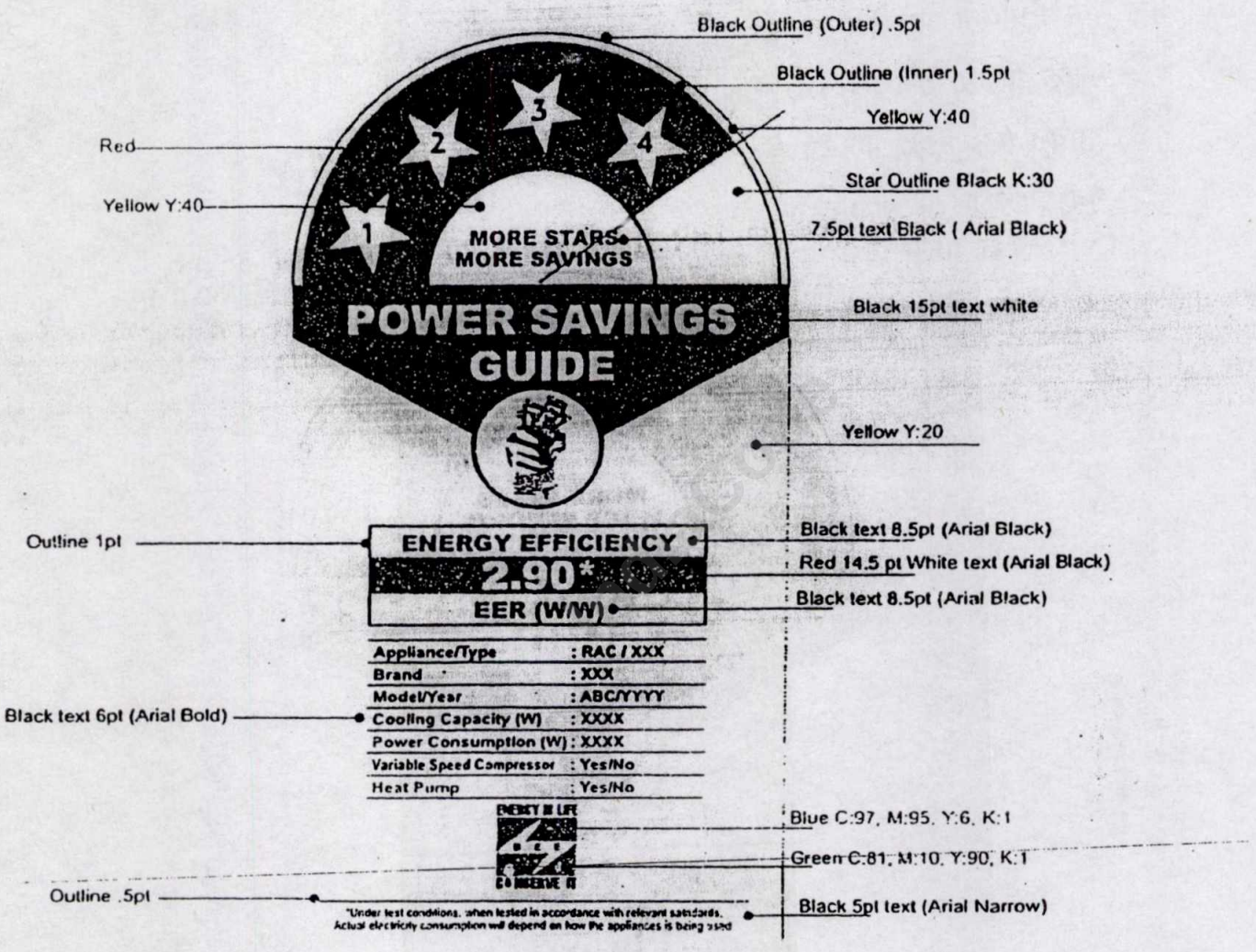
कक्ष वातानुकूलकों के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियों के ब्यौरे–

(1) लेबल डिज़ाईन (अभिकल्प), आकार, रंग योजना और लेबल की अंतर्वस्तु में निम्नलिखित सम्मिलित होगा –

(i) लेबल का विमिय डिज़ाइन निम्न प्रकार से होगी, अर्थात्–



(ii) लेबल की रंग–योजना इस प्रकार होगी, अर्थात्–



(iii) ब्यूरो के लोगो के लिए रंग – योजना इस प्रकार होगी, अर्थात–

नीला

रंगत (H): 239^0 संतृप्ति (S): 64%, द्युति (B): 59%

ज्योतिर्मयता अथवा हल्कापन (L): 28 रंग संबंधी घटक a:24 b:54

लाल (R): 54 हरा (G): 55 नीला (B): 151

सायन (C): 97% मेजेन्टा (M): 95% पीला (Y): 6% काला (K): 1%

वेब रंग कोड – #363797

हरा

रंगत (H): 150^0 संतृप्ति (S): 10%, चमकीलापन (B): 67%

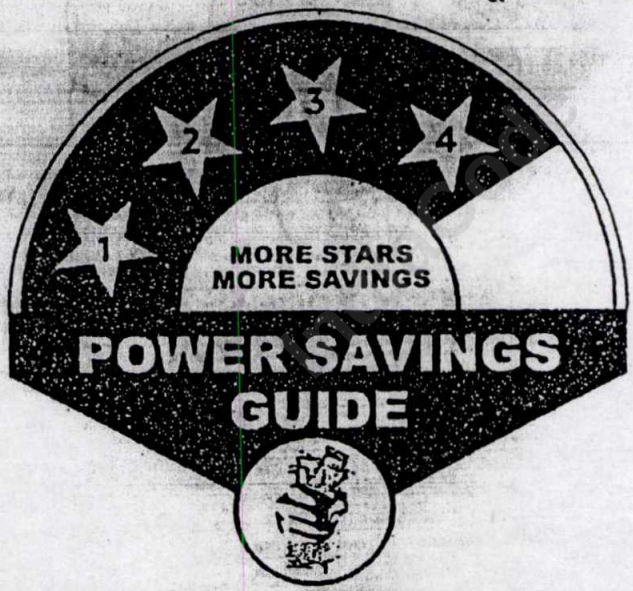
ज्योतिर्मयता अथवा हल्कापन (L): 61 रंग संबंधी घटक a:53 b:32

लाल (R): 0 हरा (G):170 नीला (B): 87

सायन (C): 81% मेजेन्टा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1%

वेब रंग कोड – #00AA56

(iv) कक्ष वातानुकूलक के लिए मुद्रित लेबल का नमूना निम्न है, अर्थात्–



ENERGY EFFICIENCY
2.90*
EER (W/W)

Appliance/Type	: RAC / XXX
Brand	: XXX
Model/Year	: ABC/YYYY
Cooling Capacity (W)	: XXXX
Power Consumption (W)	: XXXX
Variable Speed Compressor	: Yes/No
Heat Pump	: Yes/No

ENERGY IS LIFE
CONSERVE IT

*Under test conditions, when tested in accordance with relevant standards
Actual electricity consumption will depend on how the appliance is being used

(2) लेबल की सामग्री टिकाऊ गत्ते की होनी चाहिए, यदि इसे झूलने वाले टैग की तरह लगाना है अथवा चिपकाना है।

अजय माथुर, महानिदेशक

[विज्ञापन III/4/185/09-असा.]

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2009

No. 2/11(5)/03-BEE.-2.—Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009, were published *vide* notification number 2/11(5)/03-BEE.-2,dated 12th January,2009,In the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 12th January,2009, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on the 12th January, 2009;

And whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the specified period aforesaid;

And whereas the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (d) of section 14 of the said Act, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition. – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001;

(b) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, room air conditioner;

(c) "models" mean the range of models of one particular brand to which a single set of test reports is applicable and where each of the models has the same physical characteristics, comparative energy consumption, energy efficiency level and performance characteristics and includes family of models;

(d) "room air conditioner" means air conditioner of the vapour compression type for household use up to a rated cooling capacity of 10,465 watts or 9000 kcal/hour and shall include single-phase split and unitary air conditioners covered within the scope of IS 1391(Part 1):1992, and IS 1391 (Part 2):1992, but shall not include such other room air conditioner which is not covered within the scope IS 1391(Part 1):1992, and IS 1391 (Part 2):1992, pending the development of a suitable test method or multi-split systems having more than one indoor unit with an independent control for each indoor unit ,or have evaporative cooler or any other cooling systems which are not of the vapour compression type;

(e) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the room air conditioner based on energy consumption to denote the energy efficiency of the air conditioner.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on the labels.- (1) On every room air conditioner, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-

(a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
(b) type of air conditioner;
(c) name of manufacturer or importer and brand;
(d) model and year of manufacturing or import;
(e) authority number;
(f) cooling capacity in watts;
(g) power consumption in watts;
(h) star level of air conditioner;
(i) variable speed compressor(Yes/No);
(j) heat pump(Yes/No);
(k) energy efficiency ratio i.e., cooling capacity in watts by power consumption in watts.

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.- A label containing particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every room air conditioner within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

5. Manner of display of label. - (1) Every room air conditioner shall display label at the time of sale and such label shall be either adhered to, or attached as a swing tag, on it.

(2) For units not on display, the label may be attached to the exterior of the casing and the label may be attached to the unit when the unit is removed from its packaging or the label may be included as a part of the documentation given to the customer or user.

IndiaCode

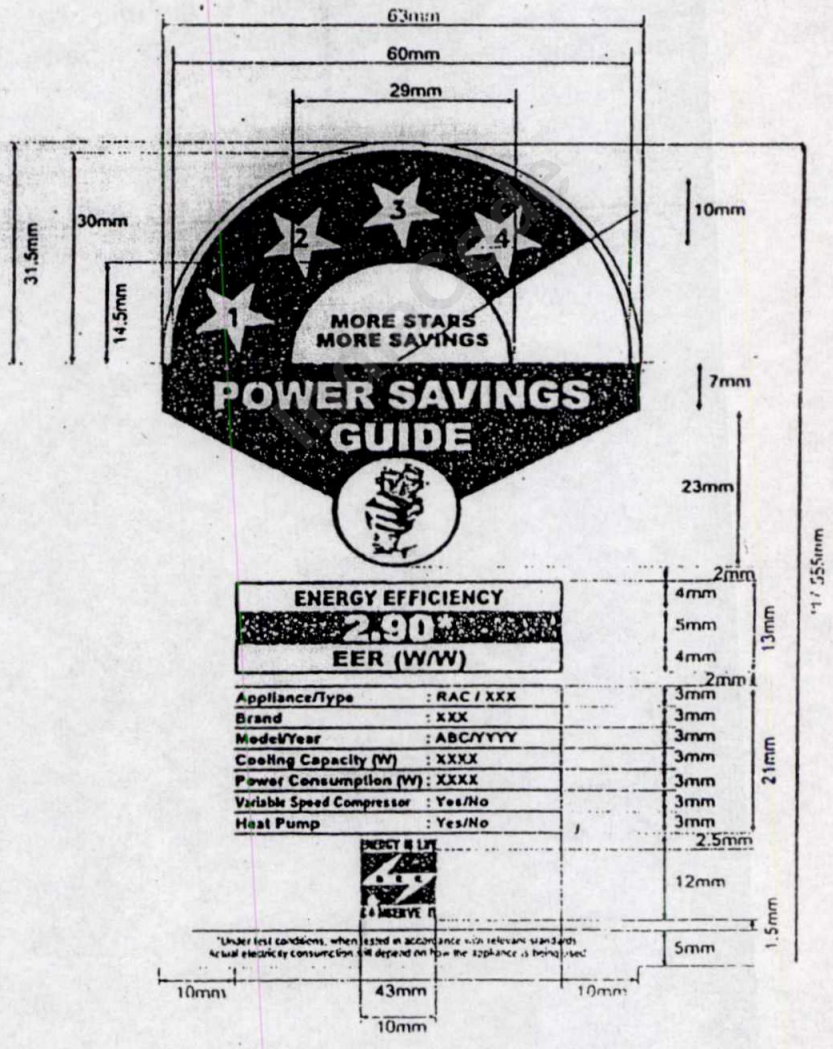
2477 GI/09-3

Schedule
[See regulation 3(2)]

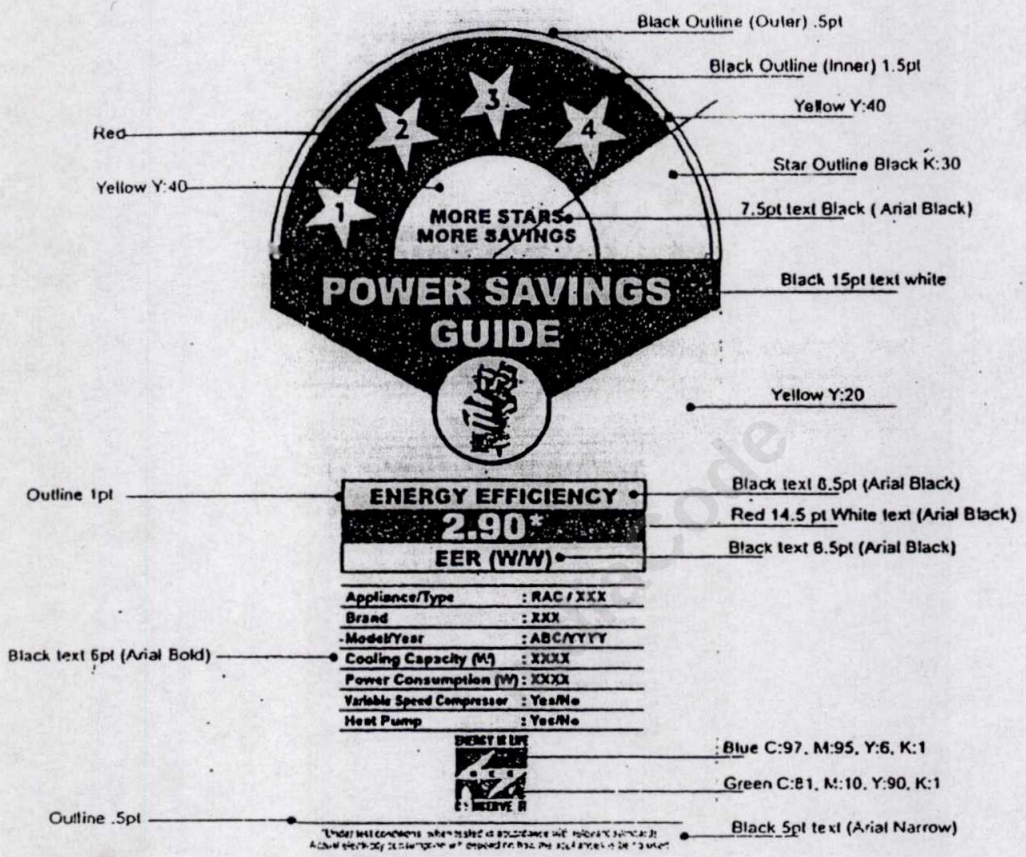
Details of particulars to be displayed on labels of Room Air Conditioners.

(1) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include -

(i) the following dimensional design of label ,namely:-



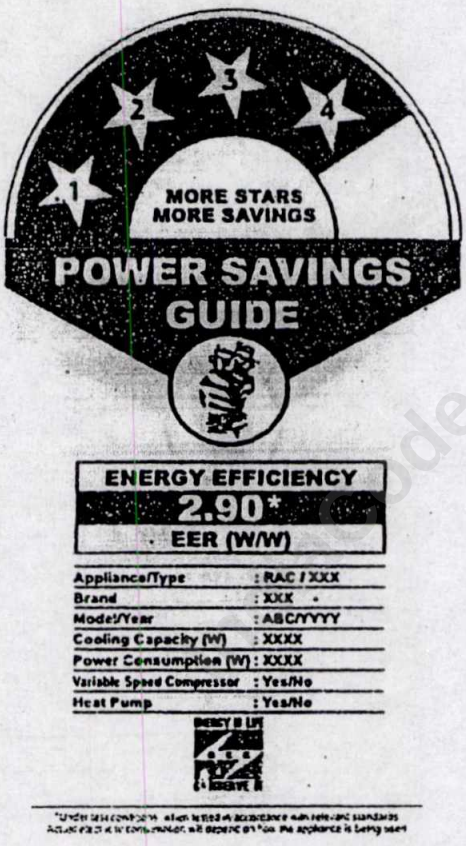
(ii.) the following colour scheme for the label, namely :-



(iii) the following colour scheme for Bureau's logo, namely:-

BLUE –
Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%
Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54
Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151
Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%
Web colour code - #363797
GREEN –
Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%
Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32
Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87
Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%
Web colour code - #00AA56;

(iv) the following complete specimen of a printed label for room air conditioner, namely:-



(2) Material of the label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag or be self-adhesive.

AJAY MATHUR, Director General

[ADVT. III/4/185/09/Exty.]

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.